न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर

बइजलास–सुनील कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं. 185/2019

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
दानाराम पुत्र नानूराम जाति नाई निवासी झोरड़ा तह0 व जिला, नागौर।	1. लादूराम पुत्र नानूराम 2. जीयाराम पुत्र नानूराम 3. धन्नाराम पुत्र नानूराम 4. डूंगरराम पुत्र नानूराम 5. राजूराम पुत्र नानूराम 6. धुड़ी पत्नी स्व. कोजाराम 7. बजरंगराम पुत्र स्व. कोजाराम 8. रामूराम पुत्र स्व. कोजाराम 9. सुखाराम पुत्र स्व. कोजाराम 10. गणेशराम पुत्र स्व. कोजाराम 11. दीपाराम पुत्र स्व. कोजाराम 12. शिम्भुराम पुत्र स्व. कोजाराम 13. मदनराम पुत्र स्व. कोजाराम जाति नाई निवासीगण झोरड़ा तह0 व जिला नागौर। 14. मिश्रीलाल जैन पुत्र कंवरीलाल जैन निवासी झोरड़ा हाल भण्डारियों की गली तिगरी बाजार नागौर 15. रमेश उर्फ रामेश्वरलाल पुत्र लादूराम जाति ब्राह्मण निवासी झोरड़ा तह0 नागौर। 16. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नागौर।

उपस्थित :–
श्री रामदेव सिंवर, (वकील प्रार्थी)
श्री सांवरराम चौधरी, (अप्रार्थी सं. 1 से 13)
श्री भागीरथ चौधरी, (अप्रार्थी सं. 15)

आवेदन पत्र अधीन धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम

::आदेश::

दिनांक :– .....

प्रार्थी ने आवेदन पत्र अधीन धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि, प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 से 13 की सह कब्जे काश्त सह खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 69 रकबा 10.13 बीघा, खसरा नम्बर 216/69 रकबा 10 बिस्वा ग्राम झोरडा तहसील नागौर की राजस्व सीमा में स्थित है। उपरोक्त भूमि की खातेदारी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के 1/2 व 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण संख्या 6 से 14 के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 14 उपरोक्त भूमि के संयुक्त रूप से काबिज सह खातेदार है। जो प्रत्येक इंच भूमि पर काबिज काश्तकार है।

यह है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 14 के कब्जे काश्त व सह खातेदारी की उक्त भूमि के उतरी साईड में डामर सडक स्वीकृत होकर निर्माणाधीन है। जिससे उपरोक्त भूमि दो हिस्सो में हो गई हैं, जिसमे दक्षिणी हिस्सा खसरा नम्बर 69 व उतरी हिस्सा खसरा नम्बर 216/69 राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया और दोनो खसरान के बीच में सडक आ गई है।

यह है कि प्राधी व आप्रार्थीगण राख्या 1 से 14 के सह कब्जे कोश्त व सह खातेदारी की उक्त भूमि के उतरी तरफ गैर मुमकिन आबादी की भूमि आई हुई है और इस भूमि पर कब्जा करने की नियत से अप्रार्थी संख्या 15 ने आबादी की भूमि पर कब्जा करने के साथ साथ दक्षिणी तरफ आगे बढ़ते हुए प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 14 के सह कब्जे काश्त व सह खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 216/69 की उतरी व पश्चिमी भूमि पर कब्जा करना प्रारम्भ कर दिया और इसके लिए मौके पर उसके द्वारा दीवार निकालने के लिए खड्डे खोद दिये और मौके पर पत्थर डाल दिये तथा दीवार निकालने पर आमादा हो गया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 15 को प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 14 के कब्जे काश्त व सह खातेदारी की भूमि के किसी भी भू भाग पर नाजायज प्रकार से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है फिर भी अप्रार्थी संख्या 15 ने बाहुबल के आधार पर कब्जा करके निर्माण कार्य कर अतिक्रमण कर भूमि हडप करने पर आमादा हो गया हैं, जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 08.04.2019 को अप्रार्थी संख्या 15 को मौखिक रूप से निवेदन किया कि उनकी खातेदारी की भूमि में नीवे खोदकर और पत्थर डालकर दीवार निकालने का आपको कोई अधिकार नही हैं, जिस पर अप्रार्थी संख्या 15 ने प्रार्थी को एलानियां धमकी दी कि वह तो दीवार निकालकर जमीन पर कब्जा करके ही रहेगा, जिसके लिए अप्रार्थी संख्या 16 को भी इस संबंध में निवेदन किया गया, परन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई. ऐसी दशा में हम पक्षकारान के मध्य सीमा विवाद पैदा हुआ है।

यह है कि अप्रार्थी संख्या 15 बाहुबल के जोर पर प्रार्थी के खेत की सीमा को तोड मरोड कर अपनी इच्छानुसार कायम करने को आमादा हैं. ऐसी दशा में मुडाबदी माफिक नक्शा के अनुसार खेत खसरा नम्बर 69 रकबा 10.13 बीघा, खसरा नम्बर 216/69 रकबा 10 बिस्वा ग्राम झोरडा तहसील नागौर सम्पूर्ण का मुन्तकिल पाइंट से नाप चौप करवाकर पत्थरगढी व सीमा ज्ञान करवाने हेतु यह आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में प्रार्थी द्वारा इस्तदुआ की कि, प्रार्थी के खेताय खसरा नम्बर 69 रकबा 10.13 बीघा, खसरा नम्बर 216/69 रकबा 10 बिस्वा ग्राम झोरडा तहसील नागौर सम्पूर्ण खेताय के संबंध में स्थाई मुन्तकिल पाइंट से नाप चौप करवाया जाकर मुटाम रोपकर पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान करावे।

दिनांक 04.05.2019 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 से 13 की ओर से वकील श्री सांवरराम चौधरी ने दिनांक 24.07.2019 को एवं अप्रार्थी सं. 15 की ओर से वकील श्री भागीरथ चौधरी ने दिनांक 19.02.2020 को वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं. 14 तारीख पेशी 25.03.2021 का रजिस्टर्ड नोटिस तामिल गैर हाजिर रहने से दिनांक 12.08.2021 को इनके विरूद्ध एकपक्षीयक कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी सं. 1 से 13 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 28.09.2022 को इनका जवाब बन्द किया गया।

अप्रार्थी सं. 15 की ओर से जरिये अधिवक्ता दिनांक 11.09.2020 को उक्त प्रार्थना पत्र का निम्न जवाब पेश हुआ :–

यह है कि आवेदन के पैरा सं. 1 में दर्ज के ख.नं. 69 रकबा 10. 13 बीघा व खं.नं. 216/69 रकबा 10 बिस्वा ग्राम झोरड़ा तहसील नागौर में स्थित होना व उक्त भूमि अप्रार्थी सं. 2 से 13 व प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की होना एवं उसमें 1/2 हिस्सा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 5 का होना व 1/2 हिस्सा अप्रार्थी सं. 6 से 14 का होना व जिस पर प्रार्थी व दीगर खातेदार काबिज सह खातेदार होना प्रार्थी स्वयं, साबित करे।

यह है कि आवेदन के पैरा सं. 2 में दर्ज तथ्य कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 14 की खातेदारी की भूमि के उत्तरी साईड में डामर सड़क स्वीकृत होकर निर्माणाधीन होने के तथ्य गलत दर्ज किये हैं क्योंकि उक्त सड़क काफी वर्षों पूर्व डामरीकृत हो चुकी थी आगे दर्ज तथ्य कि उपरोक्त भूमि 2 हिस्सों में होना गलत दर्ज किया है। यह भी गलत है कि ख.नं. 216/69 व ख.नं. 69 के बीच में डामर सड़क आई हो जबकि उक्त डामर सड़क ख.नं. 69 व 216/69 के उत्तरी तरफ आई हुई है।

यह है कि आवेदन के पैरा सं. 3 में दर्ज तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 14 के सह कब्जेकाश्त व सह खातेदारी की भूमि के उत्तरी तरफ गै.मु. आबादी की भूमि आईहुई हो जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी र. 2 से 14 की खातेदारी व आबादी भूमिके बीच में डागर सड़क विद्यमान है और बामरी सड़क के दक्षिण में खातेदारी की भूमि है व डामर सड़क के उत्तर में आबादी की भूमि आई हुई है। यह भी गलत है कि आबादी की भूमि पर कब्जा करने की नियत से उत्तरदाता में आबादी की भूमि पर कब्जा करने के साथ साथ कब्जा करते हुए प्रार्थी व अप्रार्थी स. 1 से 14 के सह कब्जेकाश्त व सह खातेदारी की भूमि ख.नं. 216/69 की उत्तरी व पश्चिमी भूमि पर कब्जा करना प्रारम्भ कर दिया हो और मौके पर दीवार निकालने के लिए खड्डे खोद दिये हो व मौके पर पत्थर डालकर दीवार निकालने पर आमादा हो। यह भी गलत है कि अप्रार्थी सं. 15 को प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 14 के कब्जेकाश्त व सह खातेदारी की भूमि के किसी भू भाग पर नाजायज प्रकार से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। फिर भी अप्रार्थी सं. 15 ने बाहूबल के आधार पर कब्जा कर निर्माण कार्य कर अतिक्रमण कर भूमि हडप करने पर आमादा हो। यह भी गलत है कि जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 08.04.2019 को उत्तरदाता को मौखिक रूप से निवेदन किया हो कि आपको खातेदारी की भूमि में नीवें खोदकर पत्थर डालकर दीवार निकालने का कोई अधिकार नहीं हो जिस पर अप्रार्थी सं. 15 ने प्रार्थी को ऐलानिया धमकियां दी हो व दीवार निकाल कर जमीन पर कब्जा करने को कहा हो एवं जिसके लिए अप्रार्थी सं. 15 को भी जिसके लिए निवेदन किया हो व उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से पक्षकारान के मध्य सीमा विवाद पैदा हुआ हो। यहां यह तथ्य दर्ज करना आवश्यक है कि ग्राम झोरड़ा से चाऊ जाने वाली डामरी सड़क के उत्तरी तरफ आबादी की भूमि आई हुई है जो भूमि शुरू में फुसाराम, मोहनराम व किरताराम मेघवाल निवासी झोरड़ा की कब्जासुद स्वामित्व की जायगा की उक्त जायगा को उत्तरदाता ने अलग अलग इकरारनामा के जरिये उनसे खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था व बाद में उत्तरदाता द्वारा अपनी खरीद सुद, कब्जासुद स्वामित्व की जायगा पर पक्की चारदीवारी का निर्माण करवाकर दक्षिणी तरफ डामर सडक की ओर लोहे की फाटक लगाई लेकिन प्रार्थी व दीगर मुलजिमान ने मेरी कब्जासुद खरीद सुद स्वामित्व की जायगा पर नाजायज रूप से लाठी के बल पर कब्जा करने की नियत से रात्रि में मेरी स्वामित्व की भूमि पर जबरन प्रवेश कर मेरी चूनी हुई पक्की दीवार व लोहे की फाटक तोड़ दी जिसका मुकदमा मैनें पुलिस थाना श्रीबालाजी में दर्ज करवाया जिसके मु.नं. 93/2019 हैं जिसमें बाद अनुसंधानअभियुक्तगण का बखूबी अपराध साबित मानते हुए न्यायालय में उनके विरुद्ध चालान पेश किया। उक्त मुकदमे की चार्जशीट व मौका रिपोर्ट की प्रति साथ पेश है। उसके बाद उत्तरदाता ने पुनः अपनी कब्जासुद स्वामित्व की जायगा पर चारदीवारी का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया तो प्रार्थी व दीगर मुलजिमान ने पुनः रात्रि के समय उत्तरदाता के कब्जासुद स्वामित्व की जायगा में प्रवेश कर फाटक को तोड़ दिया जिसका मुकदमा भी उत्तरदाता ने मुलजिमान के विरुद्ध पुलिस थाना श्रीबालाजी में दर्ज करवाया। तत्पश्चात् उत्तरदाता ने अपनी कब्जासुद स्वामित्व की जायगा के संबंध में प्रार्थी व दीगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में सिविल वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। उपरोक्त तमाम नकले जवाब के साथ पेश है।

यह है कि आवेदन के पैरा से 4 में दर्ज तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। यह गलत हे कि अप्रार्थी से 15 अपने बाहुबल के जोर पर प्रार्थी के खेत की सीमा को तोड़ मरोड़कर अपनी इच्छानुसार कायम करने पर आमादा हो ऐसी दशा में मुण्डा बन्दी माफिक नक्शा के अनुसार खेत ख.नं. 69 रकबा 10.13 बीघा व ख.नं.

216/69 रकबा 10 बिस्वा ग्राम झोरड़ा का मुन्तकिल पोइंट से नापचौप करवाकर पत्थर गढी व सीमांज्ञान करवाने हेतु यह आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ हो। यहां यह तथ्य दर्ज करना आवश्यक है कि पूर्व में जब प्रार्थी व दीगर मुलजिमानों ने नाजायज रूप से उत्तरदाता की कब्जासुद खरीदसुदा स्वामित्व की जायगा में नाजायज रूप से प्रवेश कर उत्तरदाता की पक्की चारदीवारी व फाटक को तोड़ने का आपराधिक कृत्य किया जिसका मुकदमा उत्तरदाता ने संबंधित थाना श्रीबालाजी में दर्ज करवाया जिसमें जांच अधिकारी ने स्वयं मौके पर आकर नक्शा मौका व हालात मौका तैयार किया व तहसीलदार नागौर से आदेश करवाकर टीम गठित करवाकर नापचौप करवाया व बाद में श्रीमान् जिला कलेक्टर नागौर के आदेश से दुबारा टीम गठीत की जाकर प्रार्थी के खेतों का नापचौप करवाया गया। उक्त दोनों नापचौप की रिपोर्टों में सड़क से उत्तरी तरफ आबादी भूमि होना व सड़क से दक्षिणी तरफ प्रार्थी व दीगर खातेदारान की खातेदारी की भूमि होना बखूबी साबित है। लेकिन प्रार्थी उत्तरदाता की आबादी में स्थित कब्जासुद, खरीदसुद स्वामित्व की भूमि पर नाजायज कब्जा करने की नियत से व उत्तरदाता को तंग व परेशान करने की नियत से व नाजायज दबाव बनाने की नियत से यह झूठा आवेदन पेश किया है। क्योंकि पूर्व में करवाये गये नापचौप में सड़क से दक्षिण की तरफजायगा खातेदारी की होना व सड़क से उत्तर की तरफ आबादी होना विवरण आ चुका है। लेकिन प्रार्थी ने उसके बावजूद भी उत्तरदाता को तंग परेशान करने की नियत से यह मिथ्या तथ्य दर्ज करते हुए यह आवेदन पेश किया है जो मय खर्चा हर्जा खारिज फरमाया जावे।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन, बलहीन व असत्य एवं मन गढ़त तथ्यों पर आधारित होने से मय खर्चा हर्जा खारिज फरमाया जावे।

दिनांक 12.01.2024 को उभयपक्षकारान विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे यह अंकित किया हैं कि प्रार्थी के खातेदारी के कब्जा काश्त की कृषि भूमि को लेकर सीमा को लेकर बार–बार विवाद उत्पन्न हो रहे है। इसलिए प्रार्थी खसरा नम्बर 69 रकबा 10.13 बीघा, खसरा नम्बर 216/69 रकबा 10 बिस्वा ग्राम झोरडा तहसील नागौर सम्पूर्ण खेताय का मुन्तकिल पाइंट से नाप चौप करवाया जाकर मुटाम रोपकर पत्थरगढी करवाना चाहते है।

उभय पक्षकारान विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उलब्ध समस्त दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया, जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार नागौर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा झोरड़ा तहसील व जिला नागौर के खेत खसरा नम्बर 69 रकबा 10.13 बीघा, खसरा नम्बर 216/69 रकबा 10 बिस्वा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवायी जावे। इस हेतु तहसीलदार नागौर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। मौका कमिश्नर फीस 500/– रूपये निर्धारित की जाती है जो प्रार्थी द्वारा मौके पर ही देय होगे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार नागौर को तहरीर जारी हो।

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
नागौर

आदेश आज दिनांक ..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
नागौर